न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाडा
प्रकरण संख्या : 03 / 2021
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021 / 26

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

1. केवजी पिता श्री गेबाजी बुनकर निवासी गॉव लोकिया तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
2. तेजपाल बुनकर पिता गेबाजी बुनकर निवासी गॉव लोकिया तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
3. मणीलाल बुनकर पिता गेबाजी बुनकर निवासी गॉव लोकिया तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
4. अमरजी बुनकर पिता कचरु बुनकर निवासी गॉव लोकिया तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–

1. भरत पुत्र स्व. रामचन्द्र निवासी गॉव लोकिया तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
2. मणी पत्नि स्व. रामचन्द्र निवासी गॉव लोकिया तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
3. मना पुत्र कालिया निवासी गॉव लोकिया तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
4. रावजी पुत्र कालिया गॉव लोकिया तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
5. लक्ष्मण पुत्र स्व. रामचन्द्र निवासी गॉव लोकिया तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा
6. तहसीलदार तहसील अरथुना जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री यशपाल गुप्ता, अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता रेस्पोडेंट
श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 29–07–2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण [illegible] है कि ग्राम लोकिया तहसील गढी जिला बॉसवाडा के खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.18 [illegible] खसरा नंबर 166 रकबा 0.09 है, खसरा नंबर 387 रकबा 0.15 है. कुल खसरा 3 रकबा 0.42 [illegible] श्री कालूराम पिता ना[illegible]ति भील

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

निवासी लोकिया के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी। कालूराम पिता नानीया भील की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नाम तहसीलदार अरथुना द्वारा नामान्तरकरण सं. 485 दिनांक 19.03.2021 स्वीकृत किया गया के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्टस् को समन जारी किये गए। जिसमें दिनांक 31–08–2021 को रेसपोंडेंट सं. 1 से 5 की ओर से श्री राजकुमार जैन, श्री अनुराग जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अपीलांट सं. 4 तथा रेसपोडेंट सं. 1 से 5 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् अपील प्रत्याहरण (विथ ड्रॉ) करने प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेंट सं. 6 की ओर से दिनांक 04–02–2022 एवं रेसपोडेंट सं. 1 से 5 की ओर से उनके अधिवक्ता ने दिनाक 04.03.2022 को जवाब प्रस्तुत किया।

रेसपोडेंट सं. 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया अपीलान्ट श्री अमरजी ने प्रार्थनापत्र पेश कर प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने के आधार पर अपील विथड्रो करने की प्रार्थना की है। अपीलान्ट श्री अमरजी ने सभी अपीलान्ट्स की ओर से अपील विथड्रों करने का प्रार्थनापत्र पेश किया है। अपीलान्ट्स अपील में कार्यवाही करना नहीं चाहते है। ऐसी अवस्था में अपील निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा काशत नहीं है। भूमि कभी भी अपीलान्ट्स अथवा उनके पूर्वजों के खाते एवं कब्जें काश्त में नहीं रही है। तहसीलदान गढ़ी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने स्व. कालूराम भील के उत्तराधिकारियों की जांच करने के पश्चात् विरासत में नामान्तकरण खोला गया है। अपीलान्ट्स स्व. कालूराम के उत्तराधिकारी नही है। अपीलान्ट्स एवं रेसपोडेन्ट्स दोनों अलग–अलग जाति के है एवं धारा 42 के अनुसार अपीलान्ट्स के अधिकारों पर नामान्तकरण संख्या 485 से कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील विरूद्ध रेसपोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 निरस्त फरमावें।

रेसपोडेंट संख्या 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया कि कालूराम पिता नानीया भील की मृत्यु होने पर उसके वारिसान द्वारा विरासती नामांतकरण के लिए ग्राम पंचायत में वारिस प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के साथ नामांतरकरण के ... आवेदन किया। जिसके तहत नामांतरकरण संख्या 483 द्वारा कालूराम पिता नानीया ... / 4 मणी पत्नि स्व. लक्ष्मण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

1/4 मना पिता कालूराम 1/4 रामचंद्र पिता लक्ष्मण 1/8 रावजी पिता कालूराम 1/4 दर्ज किया, जिसमें वारिसान के नाम का सही इन्द्राज नहीं हुआ जैसे भरत पिता प्रभु मणी पत्नि स्व. लक्ष्मण रामचंद्र पिता लक्ष्मण दर्ज हुआ जो गलत है, जिसका सही इन्द्राज भरत पिता रामचन्द्र, मणि पत्नि स्व. रामचंद्र लक्ष्मण पिता रामचद्र होना चाहिए था, इस कारण नामांतरकरण संख्या 485 दिनांक 20.11.2020 को दर्ज किया जिसमें सही इन्द्राज मना पिता कालूराम, रावजी पिता कालूराम, भरत पिता रामचंद्र, मणि पत्नि स्व. रामचंद, लक्ष्मण पिता रामचंद्र जाति भील निवासी लोकिया के नाम नामांतरकरण संख्या 485 दिनांक 19.03.2021 को स्वीकृत किया गया। वर्ष 2016 में क्रमशः खसरा नम्बर 157/1118 रकबा 0.18 हे. पर अमरजी पिता कचरू बलाई निवासी लोकिया, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.09 हे. पर पंकेश पिता लालजी पाटीदार निवासी लोकिया द्वारा व खसरा नम्बर 387 रकबा 0.15 हे. पर केवजी पिता गेबा बलाई निवासी लोकिया द्वारा कब्जे के आधार पर खाता निरस्त कर अपने नाम कराने उपखण्ड न्यायालय गढी में वाद पेश किया गया था। उपखण्ड अधिकारी गढी द्वारा दिनांक 20.03.2018 को उक्त तीनों वादीगण के विरूद्ध निर्णय पारित कर खातेदार को यथावत को यथावत रखा गया व तहसीलदार गढ़ी को विधिक वारिसान की जांच रिपोर्ट करने निर्देशित किया गया था। कालूराम पिता नानिया जाति भील निवासी लोकिया के विधिक वारिस मना, रावजी पिता कालूराम, भरत, लक्ष्मण पिता रामचंद्र, मणि पत्नि स्व. रामचंद्र जाति भील निवासी लोकिया है। नामांतरकरण संख्या 485 नियमानुसार दर्ज होकर स्वीकृत किया गया है।

दिनांक 16.06.2022 को अपीलांट्स के अधिवक्ता की ओर से फर्द दस्तावेज के संलग्न पत्रावली 14/85, प्रार्थना पत्र भूप्रबन्ध अधिकारी, प्रार्थना पत्र तहसीलदार गढी, गिरदावरी स्लीप 2013, रसीद नं.30, खसरा गिरदावरी संवत् 2032–35 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।

दिनांक 22.07.2022 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण सं. 485 दिनांक 19.03.2021 ग्राम लोकिया, पटवार मण्डल अरथुना, तहसील अरथुना का ज्ञान दिनांक 19.04.2021 का हुआ एवं नकल अपीलांट्स को 26.04.2021 को प्राप्त हुई। उसके पश्चात कोरोना काल होने एवं अपीलांट्स केवजी व मांगीलाल कोरोना काल में बिमार होने से उक्त अपील पेश [illegible] में [illegible]म्ब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार कर अपील [illegible] करने निवेदन किया। अपीलार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अधिवक्ता द्वारा अपील पर बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि तहसीलदार अरथुना को अपीलांट केवजी पिता गेबाजी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, कालुराम पिता नानिया नाम का कोई व्यक्ति नही होने से आराजी सर्वे नंबर 157/1118 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 387 रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि, ग्राम लोकिया का आवंटन किया गया एवं अपीलांट सं. 1 के पिता के आवेदन पत्र पर पटवारी की रिपोंट के आधार पर तहसीलदार गढी ने उपखण्ड अधिकारी गढी को यह सूचना दी कि कालूराम पिता नानिया भील नाम का कोई व्यक्ति नही है न ही कोई गांव लोकिया में निवास करता है तथा वर्तमान में आराजी सर्वे नम्बर 157/1118 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 387 रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि कालुराम पिता नानिया के नाम दर्ज रेकार्ड दर्ज है तथा कालिया पिता वालिया के वारिसान के नाम फर्जी नामांतरकरण की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार गढी ने दिनांक 12.12.2017 को उपखण्ड अधिकारी गढी को यह सूचना दी तथा पटवारी हल्का अरथुना ने दिनांक 05.12.2017 को जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09.12.2017 को मौका पर्चा बनाया जिसमें यह उल्लेखित किया कि, ग्राम लोकिया में कालुराम पिता नानिया नाम का कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन वर्तमान रेकॉर्ड उसके नाम अंकित है तथा कालिया पिता वालिया को कालुराम का वारिस बनाकर पूर्व में नामांतरकरण दिनांक 09.11.2020 को खारिज किया गया एवं पूर्ण जांच किये बगैर नामांतरकरण संख्या 285 दिनांक 19.03.2021 को कालिया के वारिसान के नाम दर्ज रेकॉर्ड किया गया तथा उपरोक्त सर्वे नम्बर 387 व 157/1118 पर कभी भी कालुराम पिता नानिया ने काश्त नहीं की है तथा उस पर अपीलांट्स केवजी, तेजपाल के पिता गेबाजी व अमरजी के पिता कचरू बुनकर के समय से करीब 50-60 वर्ष से काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा केवजी पिता गेबाजी एवं मणिलाल पिता गेबाजी ने एक वाद कालुराम पिता नानिया का कोई वारिस नहीं होने से खातेदारी दिलाये जाने हेतु वाद माननीय एस.डी.ओ. कोर्ट, गढ़ी में प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 20.03.2018 को मुकदमा नम्बर 41/2016 के द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि तहसीलदार गढी खातेदार के विधिक वारिसान की जांच विस्तृत कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि सही स्थिति का अवलोकन हो सके। प्रश्नगत नामान्तरकरण से पूर्व जारी करवाये गये मृत्यु प्रमाण पत्र में रेसपोडेंट्स ने उक्त जमीन हथियाने के लिये फर्जी शपथ पत्र के आधार पर कालुराम उर्फ कालिया व नानिया उर्फ वालिया अंकित कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किये एवं उसके आधार पर कालुराम के वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

बताकर नामांतरकरण अपने नाम प्रविष्ट कराकर खातेदार बनने की चेष्टा की है तथा जन आधार कार्ड में रावजी के पिता का नाम कालिया व मना क पिता का नाम कालिया अंकित है। उक्त जन आधार में कालुराम उर्फ कालियां अंकित नहीं है। उक्त सारी कार्यवाही रेस्पोडेंट्स ने अपने आपको कालुराम पिता नानिया का वारिसान बताकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामांतरकरण दर्ज करवाया। नामांतरकरण संख्या 485 में रेस्पोडेंट्स को कालुराम का वारिसान नहीं बताकर नामांतरकरण दिनांक 02.11.2020 को खारिज किया गया तथा नामांतरकरण में यह भी अंकित है कि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद है। तथा इसी नामांतरकरण को दिनांक 19.03.2021 को जो नामांतरकरण स्वीकार किया है वह विधि–विरूद्ध है एवं उपखण्ड अधिकारी गढी के आदेशानुसार कालुराम के वारिसान कोई नहीं होने के बावजुद भी विधि विरूद्ध कालिया के वारिसान के नाम नामांतरकरण खोला है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 285 खाता संख्या 31 नया, पुराना 22 के आराजी सर्वे नम्बर 157/1118 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 166 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 387 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल खेत 03 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर वाके ग्राम लोकिया पटवार मण्डल अरथुना तहसील अरथुना जिला बांसवाडा राजस्थान का नामांतरकरण दिनांक 19.03.2021 को निरस्त करने के आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 5 की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपील में उठाई गई आपत्तियों के संबंध में अपीलान्ट्स को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट्स के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। रेस्पोडेन्ट्स के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज होने की अवस्था में उसक शुद्धि करने का अधिकार तहसीलदार को है। राजस्व रेकार्ड में यदि किसी खातेदार का नाम लिखने की अशुद्धि से गलत लिखा गया है तो उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट्स अपनी भूमि के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट्स का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलान्ट्स की कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं है। तहसीलदार अरथुना रेस्पोडेन्ट्स संख्या 6 ने स्व. कालुराम भील के उत्तराधिकारियों की जांच करने के पश्चात् विरासत में नामांतरकरण खोला गया है। अपीलान्ट्स स्व. कालुराम के उत्तराधिकारी नहीं है। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स दोनों अलग–अलग जाति के है एवं धारा 42 के अनुसार अपीलान्ट्स के अधिकारों पर नामांतरकरण संख्या 485 से कोई विपरित प्रभाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

नहीं पडता है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त नहीं है। भूमि कभी भी अपीलान्ट्स अथवा उनके पूर्वजों के खाते एवं कब्जे काश्त में नहीं रही है। अपीलान्ट्स ने नामांतरकरण संख्या 31 (485) दिनांक 28.12.2020 को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट्स बुनकर जाति के होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है। रेपोडेन्ट संख्या 1 से 5 भील जाति के होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। धारा 42 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रवाधानों के विपरित नामांतरकरण निरस्ती का आदेश कानूनन दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेंट्स संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि खसरा नम्बर 157/1118 रकबा 0.18 हें खसरा नम्बर 166 रकबा 0.09 हें खसरा नम्बर 381 रकबा 0.15 हें कुल 3 रकबा 0.42 हें कालूराम पिता नानिया जाति भील निवासी लोकिया के नाम खातेदार दर्ज रेकार्ड थी। वर्ष 2016 में क्रमशः खसरा नम्बर 157/1118 रकबा 0.18 हें पर अमरजी पिता कचरू बलाई निवासी लोकिया, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.09 हें पर पंकेश पिता लालजी पाटीदार निवासी लोकिया द्वारा व खसरा नम्बर 387 रकबा 0.15 हें पर केवजी पिता गेबा बलाई निवासी लोकिया द्वारा कब्जे के आधार पर खाता निरस्त कर अपने नाम कराने उपखण्ड न्यायालय गढ़ी में वाद पेश किया गया था। उपखण्ड अधिकारी गढ़ी द्वारा दिनांक 20.03.2018 को उक्त तीनों वादीगण के विरूद्ध निर्णय पारित कर खातेदार को यथावत रखा गया व तहसीलदार गढ़ी को विधिक वारिसान की जांच रिपोर्ट करने निर्देशित किया गया था। कालूराम पिता नानिया जाति भील निवासी लोकिया के विधिक वारिस मना, रावजी पिता कालूराम, भरत, लक्ष्मण पिता रामचंद्र, मणि पत्नि स्व. रामचंद्र जाति भील निवासी लोकिया है। नामांतरकरण संख्या 485 नियमानुसार दर्ज होकर स्वीकृत किया गया है।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपील का निस्तारण [illegible] के विनिश्चय के पश्चात् उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध [illegible] का गहनतापूर्वक अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

किया। केवजी पिता गेबा, मणिलाल पिता गेबा, तेजपाल पिता गेबा ने 50 वर्षो से कब्जे के आधार पर एवं कालुराम पिता नानिया का कोई वारिस नहीं होने से खातेदारी दिलाये जाने हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो इस प्रकरण में अपीलांट स्वयं द्वारा प्रारंगिक किया है। उक्त मुकदमा नम्बर 41/2016 पर दिनांक 20.03.2018 में न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए वाद विरुद्ध वादीगण निर्णित करते हुए खातेदार को यथावत रखा व तहसीलदार गढ़ी को विधिक वारिसान् की जांच रिपोर्ट करने निर्देशित किया। जिस पर तहसीलदार अरथुना ने कालूराम पिता नानिया जाति भील निवासी लोकिया के वारिसानो की जॉच कर विधिक वारिसान मना, रावजी पिता कालूराम, भरत, लक्ष्मण पिता रामचंद्र, मणि पत्नि स्व. रामचंद्र जाति भील निवासी लोकिया के नाम नामांतरकरण संख्या 485 दिनांक 19.03.2021 स्वीकृत किया है। जिसमे हम कोई हस्तक्षेप नही करना चाहते है। जहॉ तक रेस्पोडेंट्स द्वारा फर्जी शपथ पत्र के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि जारी कराने का प्रश्न है, यह निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार अरथुना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 485 दिनांक 19.03.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29-07-2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested